



# माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : परीक्षा/सैल-8/2014/ F-29409-29450  
प्रेषित :-

दिनांक 22/7/14

जिला शिक्षा अधिकारी,  
माध्यमिक प्रथम/द्वितीय,  
.....।

विषय :- 2014 की पूरक परीक्षा में वीडियोग्राफी कराने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि बोर्ड परीक्षा 2010 से परीक्षा केन्द्रों पर सामूहिक नकल व अन्य सभी अनियमितताओं को रोकने के लिये वीडियोग्राफी प्रारम्भ की गई थी। वीडियोग्राफी के फलस्वरूप परीक्षा कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई थी। उसी बात को मध्य नजर रखते हुए बोर्ड पूरक परीक्षा 2014 में भी वीडियोग्राफी करवाई जानी है।

वीडियोग्राफी निम्नानुसार प्रभारी अधिकारी के निर्देशन में वीडियोग्राफर द्वारा की जावेगी :-

| वीडियोग्राफी का स्थान  | प्रभारी  |
|--|--|
| समस्त जिलों के समस्त पूरक परीक्षा केन्द्रों की वीडियोग्राफी  | जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित फ्लाइंग स्कवैड के अधिकारी/केन्द्राधीक्षक/माईको आब्जर्वर |
| दौसा, सवाईमाधोपुर, जोधपुर, करौली, बाडमेर, झुन्झुनू, नागौर, सीकर जिलों के संग्रहण केन्द्रों की वीडियोग्राफी | जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित एक माईको आब्जर्वर (राजपत्रित अधिकारी)                   |

## 01. वीडियोग्राफी करवाने के सम्बन्ध में :-

उक्तानुसार प्रभारी अधिकारी के साथ रहकर उनके निर्देशन में परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं यथा प्रश्न-पत्रों की अलमारी से प्रश्न-पत्र निकालने से लेकर केन्द्र पर खोलने, वितरण करने एवं परीक्षा आयोजन आदि की प्रतिदिन वीडियोग्राफर द्वारा वीडियोग्राफी कराया जाना सुनिश्चित की जावे। वर्ष 2014 की मुख्य परीक्षाओं के लिये जिला परीक्षा संचालन समिति द्वारा अनुमोदित दरों पर ही वीडियोग्राफी करवाई जावे यदि इस व्यवस्था में समस्या आ रही हो तो नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर जिला परीक्षा संचालन समिति के समक्ष कार्यवाही का अनुमोदन करवाया जा सकता है। भुगतान स्वीकृति भी अध्यक्ष जिला परीक्षा संचालन समिति से करवाई जावें। समस्त पूरक परीक्षाएँ समाप्त होने के बाद 10 दिवस में बिल, वीडियोग्राफी की सीडियों, प्रपत्र 36-सी, दैनिक समेकित सूचना, (संलग्न प्रपत्र) एवं फर्म के बैंक खाता का विवरण (प्रपत्र संलग्न) बोर्ड कार्यालय को भिजवाई जाना सुनिश्चित करें। सीडियों पर मार्कर पेन से परीक्षा केन्द्र का नाम, कोड नं०, वीडियोग्राफी करने की दिनांक व समय अंकित करवाया जाये। वीडियोग्राफर से संलग्न प्रपत्र-36 सी में प्रमाण पत्र लिया जावे। विशेष किटिकल घटनाओं से संबंधित वीडियोग्राफी की एक अतिरिक्त सी.डी. बोर्ड में शीघ्र भिजवावें। बैंक खाता विवरण के साथ पास बुक के मुख्य पृष्ठ की एक प्रमाणित छाया प्रति/एक कैंसल्ड चैक एवं पैन कार्ड की एक प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।

परीक्षा केन्द्र पर नियुक्त किये गये वीडियोग्राफर के मोबाईल नम्बर सहित सूचना बोर्ड एवं प्रभारी स्पेशल विजीलेंस फ्लाइंग को भिजवावें तथा करवाई गई वीडियोग्राफी की इकजाई सूचना प्रतिदिन परीक्षा समाप्ति के तुरन्त बाद संलग्न प्रपत्र वी.जी. (वीडियोग्राफी) में बोर्ड के फैक्स नं.

0145-2627394 पर भिजवावें। प्रत्येक जिले में एक वीडियोग्राफर नियुक्त किया जाना है। यदि केन्द्र संवेदनशील/अतिसंवेदनशील हो तो उस केन्द्र पर अतिरिक्त वीडियोग्राफर नियुक्त किया जाना है।

**2. नकल के मामलों की सूचना :-**

यह सूचना जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने सम्पूर्ण जिले की एकत्र की जाकर प्रपत्र डी.आर. (रिवाइज्ड) में प्रतिदिन बोर्ड को फैक्स से भेजी जावे।

प्रपत्र डी.आर., वी.जी., 36-सी एवं 36-डी बोर्ड की वेबसाइट [www.rajeduboard.nic.in](http://www.rajeduboard.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

**संलग्न :-**

1. प्रपत्र डी.आर. (रिवाइज्ड)
2. प्रपत्र वी.जी. (वीडियोग्राफी)
3. प्रपत्र 36-सी व 36-डी
4. दैनिक वीडियोग्राफी की समेकित सूचना
5. फर्म के बैंक खाता विवरण का प्रपत्र

भवदीय

  
सचिव

क्रमांक :- परीक्षा-1/सैल-8/पूरक परीक्षा/2014/ 29451-SOD

दिनांक :- 22/7/14

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

1. माननीय प्रशासक महोदय, मा.शि.बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
2. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. जिला कलक्टर महोदय, .....
4. निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) बीकानेर, राजस्थान।
5. विशेषाधिकारी (परीक्षा) मा.शि.बो. राज. अजमेर।
6. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, मा.शि.बो. राज. अजमेर।
7. मुख्य नियन्त्रक (परीक्षा) मा.शि.बो. राज. अजमेर।
8. निदेशक (गोपनीय) मा.शि.बो. राज. अजमेर।
9. उप निदेशक (परीक्षा/लेखा) मा.शि.बो. राज. अजमेर।
10. उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर/चुरू/अजमेर/भरतपुर
11. सहायक निदेशक (परीक्षा-1) मा.शि.बो. राज. अजमेर।
12. ए.सी.पी. मा.शि.बोर्ड को उक्त प्रपत्र डी.आर. (रिवाइज्ड), वी.जी. (वीडियोग्राफी), 36-सी व 36-डी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने हेतु। प्रपत्र संलग्न है।

  
सचिव

कृपया पत्र व्यवहार सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर - 305 001 के नाम सम्बोधित कीजिए।

• PBX Tel. : 0145-2632866, 2632867, 2632868, 2632869, 2632870, 232871, 2632872,73

• E-mail : [secy-boser-rj@nic.in](mailto:secy-boser-rj@nic.in) Web site- [www.rajeduboard.nic.in](http://www.rajeduboard.nic.in)

• Fax : 0145-2420429 ग्राम - राजसैकबोर्ड



# माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

## परीक्षा दैनिक रिपोर्ट

वीक्षक / केन्द्राधीक्षक / फ्लाइंग स्कवैड्स द्वारा किये गये निरीक्षणों की जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा फैक्स नं. 0145 - 2627394 पर भेजी जाने वाली दैनिक रिपोर्ट

जिले का नाम :- ..... दिनांक :- .....

1. अ. फ्लाइंग स्कवैड्स द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग में पकड़े गये प्रकरण :-

| क्र.सं. | केन्द्र की कुल संख्या जिनसे संबंधित प्रकरण बनाये गये | अनुचित साधनों के प्रयोग के कारण पकड़े गये प्रकरणों की संख्या | विशेष विवरण |
|---------|--|--|-------------|
| 1       | 2  | 3  | 4           |

ब. वीक्षक / केन्द्राधीक्षक / अन्य अधिकारियों द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग में पकड़े गये प्रकरण :-

| जिले में कुल केन्द्रों की संख्या | केन्द्रों की कुल संख्या जिनसे संबंधित प्रकरण बनाये गये। | अनुचित साधनों के प्रयोग के कारण पकड़े गये प्रकरणों की संख्या | विशेष विवरण |
|----------------------------------|---|--|-------------|
|                                  |   |  |             |

2. केन्द्रों पर परीक्षा सुचारू रूप से संचालित हुई (हां / नहीं) - (अगर किसी कारण परीक्षा सुचारू रूप से संचालित नहीं हुई हो तो उस केन्द्र का क्रमांक, नाम एवं टिप्पणी) :-

संख्या 1 (अ) व (ब) के अनुसार अनुचित साधनों के प्रयोग में पकड़े गये प्रकरणों के केन्द्र / क्रमांक / नाम / परीक्षाकार नामांक व विषय :-

| केन्द्र क्रमांक व केन्द्र का नाम | पकड़े गये परीक्षार्थी का नामांक व नाम | परीक्षा द.मा. / मा. / व.ड. / प्रवे. | विषय |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------|
|                                  |                                       |                                     |      |
|                                  |                                       |                                     |      |
|                                  |                                       |                                     |      |
|                                  |                                       |                                     |      |
|                                  |                                       |                                     |      |
|                                  |                                       |                                     |      |

4. उत्तर पुस्तिकाएं संग्रहण केन्द्र पर सुरक्षित रूप से पहुंचा दी गई हैं (हां / नहीं) (अगर नहीं तो केन्द्र क्रमांक, नाम एवं कारण)

5. रात्रिकालीन समय में निरीक्षण किये गये केन्द्रों के क्रमांक एवं नाम :-

6. विशेष विवरण यदि हो :-

बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कक्ष

फोन : 0145 - 2622877

फैक्स : 0145 - 2627394

ई-मेल :- Secy-boser-rj@nic.in

हस्ताक्षर .....

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-1)

जिला ..... (राज.)

नोट :- 1. बिन्दु संख्या 03 के लिये सूचना आवश्यकतानुसार लगातार अतिरिक्त पृष्ठों का उपयोग करते हुए स्पष्ट रूप से दी जावें।

2. इस प्रपत्र डी.आर. का नमूना बोर्ड की वेबसाइट [www.rajeduboard.nic.in](http://www.rajeduboard.nic.in) पर उपलब्ध है।



## माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

परीक्षा केन्द्रों पर करवाई गई वीडियोग्राफी के संबंध में फैक्स नं. 0145-2627394 पर जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा भेजी जाने वाली दैनिक रिपोर्ट :-

जिले का नाम :- ..... दिनांक :- .....

1. अ. विशेष चिन्हित 8 जिले सवाई माधोपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनूं, करौली, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर जिनमें शत प्रतिशत केन्द्रों पर वीडियोग्राफी करवाई गई :-

| कुल केन्द्र की संख्या जिन पर वीडियोग्राफी करवाई जानी थी | करवाई गई वीडियोग्राफी के केन्द्रों की संख्या                  |   |                                  | कॉलम सं. 1 एवं 3 में अन्तर का कारण |
|---|---|---|----------------------------------|------------------------------------|
|   | सामान्य घटनाओं से संबंधित वीडियोग्राफी के केन्द्रों की संख्या | परीक्षा को विपरीत रूप से प्रभावित करने वाली घटनाओं से संबंधित वीडियोग्राफी के केन्द्रों की संख्या | कुल संख्या (कॉलम 02 व 03 का योग) |                                    |
| 1   | 2   | 3   | 4                                | 5                                  |

(अथवा)

ब. बिन्दु संख्या 1 अ के अतिरिक्त शेष रहे 25 जिले जिनमें केवल एक उडनदस्ते के माध्यम से परीक्षा केन्द्रों की वीडियोग्राफी करवाई गई :-

| उडनदस्ते का क्रमांक जिनके साथ वीडियोग्राफर लगाया गया | परीक्षा केन्द्रों की संख्या जिन पर उडन दस्ते के साथ लगे वीडियोग्राफर द्वारा वीडियोग्राफी की गई |   |  | विशेष विवरण |
|--|--|---|--|-------------|
|  | सामान्य घटनाओं से संबंधित वीडियोग्राफी के कुल केन्द्रों की संख्या                              | परीक्षा को विपरीत रूप से प्रभावित करने वाली घटनाओं से संबंधित वीडियोग्राफी के केन्द्रों की संख्या | कुल परीक्षा केन्द्र जिन पर वीडियोग्राफी करवाई गई (कॉलम 02 व 03 का योग) |             |
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5           |

2. केन्द्र पर परीक्षा सुचारू रूप से हुई (हां / नहीं) - (अगर किसी कारण परीक्षा सुचारू रूप से संचालित नहीं हुई हो तो उस केन्द्र का क्रमांक, नाम एवं टिप्पणी) :-

3. उक्त बिन्दु संख्या 1 (अ) के कॉलम 3 तथा 1 (बी) में कॉलम संख्या 3 में अंकित केन्द्रों का संक्षिप्त विवरण :-

| केन्द्र क्रमांक (1) | उक्त बिन्दु 1 (अ) तथा 1 (ब) में कॉलम सं. 3 में अंकित परीक्षा केन्द्रों की घटनाओं के मुख्य तथ्य (2) | परीक्षा उ.मा. / मा. / व.उ. / प्रवे. (3) |
|---------------------|--|---|
|                     |  |   |
|                     |  |   |

ई-मेल :- [Secy-boser-rj@nic.in](mailto:Secy-boser-rj@nic.in)

बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कक्ष

फोन : 0145 - 2622877

फैक्स : 0145 - 2627394

हस्ताक्षर .....

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-1)

जिला ..... (राज.)

नोट :- बिन्दु संख्या 3 के लिये आवश्यकतानुसार लगातार अतिरिक्त पृष्ठ का उपयोग करते हुए सूचना स्पष्ट रूप से दी जावे। वीडियोग्राफी से संबंधित सूचनाओं का प्रपत्र का नमूना - वी.जी. (वीडियोग्राफी) बोर्ड वेबसाइट [www.rajeduboard.nic.in](http://www.rajeduboard.nic.in) पर उपलब्ध है। यदि किसी जिले में जिला शिक्षा अधिकारी प्रथम व द्वितीय के दो पद हैं तो जिले की समेकित सूचना जिला शिक्षा अधिकारी (प्रथम) द्वारा ही बोर्ड को भेजी जावे।

विशेष विवरण यदि हो :-



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर  
माननीय अध्यक्ष, मा.शि.बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के निर्देशन में स्पेशल  
विजिलेंस फ्लाइंग स्कवैड द्वारा किया गया निरीक्षण

गोपनीय निरीक्षण प्रतिवेदन

निरीक्षण कर्ता अधिकारी का नाम :- .....

पदनाम व पता :- .....

फोन नं. कार्यालय (एस.टी.डी. कोड नम्बर) :- ( ) .....

फोन नं. निवास (एस.टी.डी. कोड नम्बर) :- ( ) .....

मोबाईल नम्बर :- .....

निरीक्षण का स्थान :- .....

**A पुलिस थाना/पुलिस चौकी/नोडल परीक्षा केन्द्र  
एकल परीक्षा केन्द्र का नाम व विवरण**

1. क्या बोर्ड निर्देशानुसार प्रश्न पत्र बंडलों प्राप्ति-वितरण का इन्द्राज निर्धारित प्रपत्र में किया जा रहा है ? (हाँ/नहीं) :- .....
2. क्या बोर्ड निर्देशानुसार पूरी जाँच के बाद आधे घंटे पूर्व ही प्रश्न पत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं ? (हाँ/नहीं) :- .....

**B यदि निरीक्षण परीक्षा केन्द्र के संबंध में किया जा रहा है तो**

1. केन्द्र पर पहुंचने का दिनांक व समय :- .....
2. केन्द्राधीक्षक का नाम एवं पद नाम :- .....
3. केन्द्र पर नियुक्त आर्म्ड बोर्डर होमगार्ड/होमगार्डस की उपस्थिति व उनके कार्य की सतर्कता के संबंध में टिप्पणी :- .....
4. क्या कमरों में ऐसे वीक्षक/पर्यवेक्षक तो ड्यूटी पर नियुक्त नहीं हैं जिनसे विषय संबंधित परीक्षा आयोजित हो रही है ? यदि हाँ तो गोपनीय रूप से ऐसे वीक्षकों के नाम लिखें तथा केन्द्राधीक्षकों से तत्काल इस संबंध में कारण सहित टिप्पणी लेकर इस निरीक्षण प्रपत्र के साथ संलग्न करें :- .....
5. क्या परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाईल का उपयोग तो नहीं होना पाया गया (हाँ/नहीं) :- .....
6. क्या परीक्षा केन्द्र पर अस्थायी टाट से अस्थायी टॉयलेट बनाया जाकर उसी का उपयोग हो रहा है ? (हाँ/नहीं) :- .....
7. परीक्षा केन्द्र पर क्या सामूहिक नकल की स्थिति तो नहीं है ? (हाँ/नहीं) :- .....
8. क्या उत्तर पुस्तिकाओं के स्टॉक वितरण रजिस्टर नियमित रूप से संधारित कर केन्द्राधीक्षक/प्रभारी द्वारा हस्ताक्षर किये हैं ? (हाँ/नहीं) यदि नहीं तो कारण अंकित करें :- .....
9. क्या प्रश्न पत्र आवक व वितरण रजिस्टर/प्रतिदिन नियमित रूप से संधारित कर केन्द्राधीक्षक द्वारा हस्ताक्षर किये जा रहे ? (हाँ/नहीं) यदि नहीं तो कारण अंकित करें :- .....

10. (1) परीक्षा केन्द्र पर यदि पेपर कौर्डिनेटर कम माइकोआब्जर्वर नियुक्त हुआ है तो उनका नाम/पदनाम एवं उनकी उपस्थिति के संबंध में टिप्पणी :-

अथवा

(2) परीक्षा केन्द्र पर यदि जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष मा.शि.बोर्ड द्वारा माइकोआब्जर्वर नियुक्त हुआ है तो उनका नाम/पदनाम एवं वक्त निरीक्षण उपस्थिति के संबंध में टिप्पणी :-

11. क्या फलाईंग स्कवैड के सदस्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित मुख्यालय पर ही रात्रि विश्राम कर रहे हैं ?

12. क्या विशेष रूप से चिन्हित परीक्षा केन्द्र यथा दौसा, करौली, सीकर, झुंझुनु, नागौर, बाड़मेर, सवाईमाधोपुर, जोधपुर के केन्द्रों पर विडियोग्राफर द्वारा सतर्कता पूर्वक विडियोग्राफी की जा रही है ? (हाँ/नहीं)

13. क्या बिन्दू सं. 12 के अलावा शेष रह 25 जिलों में किसी एक उड़नदस्ते के साथ एक विडियोग्राफर द्वारा विडियोग्राफी की जा रही है ? (हाँ/नहीं)

14. परीक्षा केन्द्रों के संबंध में टिप्पणी :-

कमी/बेशी एवं सुझावात्मक टिप्पणी अंकित की जावें :-

दिनांक :-

समय :-

हस्ताक्षर

निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम

पदनाम

मोबाईल नं.

नोट :- (1) यदि परीक्षा से संबंधित सभी स्थितियां नियमानुसार पाई जा रही हो तो यह निरीक्षण प्रतिवेदन दो प्रतियों में तैयार किया जावे। इसमें से एक प्रति बोर्ड की सम्पूर्ण परीक्षाएँ समाप्त होने के बाद टिप्पणी/सुझाव सहित बोर्ड में जमा कराई जाये, दूसरी प्रति अपने स्वयं के रिकार्ड में रखें।

(2) यदि निरीक्षण करते समय परीक्षा केन्द्रों अथवा प्रश्न पत्र रखे स्थानों पर परीक्षा को विपरीत रूप से प्रभावित करनी कार्यवाहियां हो रही हो तो एक प्रति विशेषाधिकारी- परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को "गोपनीय" रूप से अविलम्ब भिजवाई जावे, तथा दूसरी प्रति संबंधित जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला परीक्षा संचालन समिति के पास "गोपनीय" रूप से अविलम्ब भिजवाई जावे तथा एक प्रति अपने पास रखी जावें। जिन मामलों में बोर्ड स्तर से तत्काल कार्यवाही अपेक्षित हो तो मोबाईल फोन से प्रकरण की जानकारी आवश्यकतानुसार सचि/विशेषाधिकारी (परीक्षा) को अविलम्ब दी जावें।

इस प्रपत्र का नमूना, बोर्ड पर [www.rajeduboard.nic.in](http://www.rajeduboard.nic.in) उपलब्ध है।

बोर्ड कन्ट्रोल रूम - फोन नं. 0145-2622877, 2631310, 2631314

बोर्ड ई-मेल : [Secy-boser-rj@nic.in](mailto:Secy-boser-rj@nic.in) है।